(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2453–दो/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 18–03–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 20/अ–3/2011–12

1–दशरथ तनय अबरा यादव
2–हृदेश तनय अबरा यादव
निवासीगण ग्राम ढौंगरा तहसील विजावर,
जिला छतरपुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

रघवा तनय चिनुवा अहिरवार
निवासी ग्राम ढोंगरा कसार तहसील विजावर
जिला छतरपुर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री नितेन्द्र सिंघई, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कसार स्थित भूमि खसरा कमांक 604 आवेदकगण की भूमि है जिस पर वह काबिज होकर विगत कई वर्षो से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, उक्त खसरा काफी बड़े रकवे का है तथा उसके कई बटांक कायम किये गये जिसमें से खसरा कमांक 604/1/1 रकबा 1.405 हेक्टर का पट्टा शासन द्वारा अनावेदक को प्रदत्त किया गया था । अनावेदक द्वारा भूमि खसरा नम्बर 604/1/1 के सीमांकन एवं तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना विधि विपरीत आदेश दिनांक 27–9–11 को पारित किया जिसकी निगरानी आवेदकगण द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–13 से विधि विपरीत तरीके से समय सीमा के बाह्य मान्य कर निरस्त कर दिया जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो मौके पर कोई निरीक्षण किया ना ही मुनादी की गई और ना ही आवेदकगण को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया जो पूर्णतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । अपर कलेक्टर न्यायालय को इस बात को मानना चाहिये था कि आवेदकगण को तहसीलदार विजावर की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया जिस कारण उन्हें कार्यवाही व आदेश की जानकारी यथासमय नहीं हो सकी साथ ही आवेदक एक वर्ष तक गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहा जिसका उपचार उसके द्वारा अपने ग्राम के बाहर रहकर कराया गया था । उक्त कारणों से आवेदकगण को तहसीलदार विजावर के आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी तथा उन्हें जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, उनके द्वारा बिना विलम्ब किये अपनी निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष धारा 5 के आवेदन पत्र मयशपथपत्र सहित प्रस्तुत की गई जिस पर अपर कलेक्टर न्यायालय को उदार दृष्टिकोण रखते हुये विलम्ब को क्षमा करने का आदेश पारित करना चाहिये था परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा कठोरता पूर्वक अपना विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि अपर कलेक्टर को इस बात को मानना चाहिये था कि अनावेदक द्वारा जब वर्ष 2000 में वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराया था तब आवेदकगण की कोई भूमि उसमें नहीं निकली थी और न ही आवेदकगण द्वारा कोई आपत्ति की गई थी परन्तु दिनांक 7–9–2010 में अनावेदक द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जो सीमांकन कराया उसमें निगरानीकर्तागण के मकान व कुऑ को अपनी भूमि में शामिल करा लिया परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुये निगरानी अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में भूल की है । तर्क में यह भी बताया कि अपर कलेक्टर द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि सीमांकन के समय जो पंचनामा तैयार किया गया उसमें से एक गवाह दुर्जन अनावेदक का सगा चाचा तथा शेष गवाह धर्मदास व राममिलन अन्य

ग्राम के निवासी है जिससे स्पष्ट है कि जो मौका पंचनामा तैयार किया गया वह पूर्णतः गलत है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर कलेक्टर जिला छतरपुर व तहसीलदार विजावर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्को में यही बताया कि उसे वर्ष 1997–98 में शासन से पट्टा प्राप्त हुआ था । आवेदक द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–11 से खारिज कर दी । आवेदक के पास अधिक भूमि है तो उसे उसके दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिये थे जो उसके द्वारा नहीं किये गये हैं । तर्क में यह भी कहा कि आवेदक सीमावर्ती कृषक नहीं हैं इस कारण उसे सूचना दिया जाना जरूरी नहीं है । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की निगरानी अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की जिसे स्थिर रखा जाकर अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । तहसील के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही विधिवत् नहीं की गई है । सभी सीमान्त कृषकों को विधिवत् नोटिस नहीं दिये गये। फील्ड बुक नहीं बनाई गई । अपर कलेक्टर ने यह मानने में त्रुटि की है कि इस आदेश की अपील करनी थी । सीमांकन की कार्यवाही के विरूद्ध नियमानुसार निगरानी ही प्रचलित हो सकती है । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में सीमांकन की कार्यवाही पर विचार न करते हुये अन्य बिन्दु कब्जा वापिसी/बटांकन आदि जो पृथक न्यायालयीन कार्यवाही के विषय थे, पर विचार किया है । अतः अपर कलेक्टर तथा तहसीलदार की कार्यवाही विधिनुकूल न होने से स्थिर रखने योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण तहसीलदार को पुनः नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर